उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–58/2011–12

सहदेव यादव

बनाम्

झारखण्ड राज्य

–: आदेश :–

दिनांक 25/10/17

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सहदेव यादव, पे0–स्व0 राम चरण यादव उर्फ कोतवाल, सा0–गंगटा खूर्द कदवा टोला, अंचल–गोड्डा जिला–गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर केश नं0–11/2000–01 (अंचल अधिकारी, गोड्डा बनाम् सहदेव यादव) आदेश दिनांक–02.12.2011 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–11/2000–01 आदेश दिनांक–02.12.2011 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा–गंगटा खूर्द जमाबंदी सं0–1085 रकवा 00–01–05 धुर जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान का कथन है कि मौजा–गंगटा खूर्द जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–1085 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कुलदीप सहाय, श्रीधर सहाय एवं अमरेन्द्र सहाय के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी सं0–21 के दाग नं0–1085 के अन्तर्गत रकवा 00–03–17 धुर जमीन अपीलकर्त्ता के पिता–रामचरण कोतवाल को वर्ष 1934 ई0 में जमाबंदी रैयत के द्वारा कुर्फा के माध्यम से आवासीय मकान बनाने के उदेश्य से बंदोवस्त कर दिया था। इसके बाद वर्ष 1935 ई0 में जमाबंदी रैयत ने कुर्फादार रैयत रामचरण कोतवाल को उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–1085 के अंदर रकवा 00–02–15 धुर जमीन कुर्फा के माध्यम से बंदोवस्त किया। कुर्फा से उक्त जमीन बंदोवस्त में मिलने के बाद कुर्फादार रैयत रामचरण कोतवाल उर्फ यादव ने उस पर आवासीय मकान बनाया एवं उस पर सपरिवार रहने लगे। रामचरण कोतवाल की मृत्यु के बाद उनके चार पुत्र क्रमशः सहदेव यादव, अर्जुन यादव, गणेश यादव एवं निशिकांत यादव ने उक्त जमीन का पारिवारिक समझोता के तहत आपसी बँटवारा कर लिया।

बँटवारा के अनुसार अपीलकर्त्ता सहदेव यादव को रकवा 00–01–05 धुर जमीन हिस्से में प्राप्त हुआ और अपने हिस्से के उस जमीन पर निर्मित मकान में अपीलकर्त्ता सपरिवार निवास करते आ रहें हैं। वर्ष 2000 ई0 में अंचल अधिकारी, गोड्डा ने स्वतः संज्ञान लेकर मौजा–गंगटा खूर्द जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–1085 की जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को एक जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में अपना कारण–पृच्छा समर्पित किया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा अपना कारण–पृच्छा में उल्लेख किया कि उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पिता को वर्ष 1934 एवं 1935 ई0 में प्राप्त है और उसी समय से उस जमीन पर निर्मित मकान में अपीलकर्त्ता के पिता सपरिवार रहने लगे एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के 12 वर्ष पूर्व से दखल होने के कारण प्रतिकुल प्रभाव से दखलकार होने के कारण उनका हक कायम हो गया है तथा जमाबंदी रैयत के वंशज को भी कोई आपत्ति नहीं है और जमीन का स्वरूप भी बदल गया है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर विचार नहीं किया। उनका आगे कथन है कि वर्तमान समय में उक्त जमीन का स्वरूप बदल जाने के कारण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20/42 के तहत उच्छेद करना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकुल नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–188/रा0 दिनांक–25.01.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गंगटा खूर्द थाना नं0–515 के जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–1085 जमाबंदी रैयत अमरेन्द्र सहाय वगैरह के नाम से गत सर्वे खतियान एवं पंजी–2 में दर्ज है। अपीलकर्त्ता सहदेव यादव द्वारा बताया गया कि उनके पिता स्व0 चरण कोतवाल को वादगत भूमि दाग सं0–1085 के अंदर रकवा 00–03–17 धुर भूमि कुर्फा के आधार पर जमाबंदी रैयत के वंशज से जमीन प्राप्त है। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत के वंश क्रम में नहीं आते हैं। स्थलीय जाँच में पाया कि वादगत भूमि पर अपीलकर्त्ता का पक्का का मकान कई वर्षों पूर्व निर्मित एवं दखल में है। अपीलकर्त्ता सपरिवार इस मकान में निवास

कर रहें हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा नगरपालिका होल्डिंग टैक्स जमा किया गया है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि अपीलकर्त्ता ने दावा किया है कि मौजा–गंगटा खूर्द के जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–1085 के अन्तर्गत रकवा 00–03–17 धुर जमीन वर्ष 1934 एवं दाग नं0–1085 के अंदर रकवा 00–02–15 धुर जमीन कुर्फा के माध्यम से जमाबंदी रैयत के द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता को बंदोवस्त किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता ने कुर्फा के समर्थन मे कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गंगटा खूर्द नं0–515 जमाबंदी सं0–21 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अमरेन्द्रनाथ सहाय वगैरह के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–1085 रकवा 00–01–05 धुर जमीन से निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। अपीलकर्त्ता ने कुर्फानामा के आधार पर उक्त जमीन पर दावा किया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि अपील वादगत जमीन पर अपीलकर्त्ता का पक्का का मकान कई वर्षों पूर्व से निर्मित है एवं अपीलकर्त्ता उस मकान में सपरिवार निवास करते आ रहें हैं। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का आर0ई0आर0 केश नं0–11/2000–01 आदेश दिनांक–02.12.2011 को निरस्त करते हए अपीलकर्त्ता क अपील आवेदन स्वीकृत किया जता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25/06/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

25/06/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

S.T. नं. 117
02/07/21

Digitally signed by BINOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 14:06:47 +05:30
Location: 192.168.29.32